



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो०ब०-२३/२०१७- ३४६

दिनांक : २७/६/२०२२

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल / गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल / रामगढ़ वन प्रमण्डल / धनबाद वन प्रमण्डल / बोकारो वन प्रमण्डल / गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल / लातेहार वन प्रमण्डल / देवघर वन प्रमण्डल / गोड़ा वन प्रमण्डल / खूँटी वन प्रमण्डल / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वयित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) के लिए कुल रु0 113.168 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-३३/२०१७-२३/स्वी० व०प० राँची
दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-
३२/२०२०-५/आ० व०प० दिनांक 23.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 113.168 लाख (एक करोड़ तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ रुपये) का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	113.168
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	0.000
कुल :-		113.168

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑनलाइन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060110158010103, 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य बन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्रावकलन पर सक्षम रूप से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्ताविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्वपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यवित्रण जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation रसमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-23/2017-346 दिनांक- 27/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ पलामू/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ गढ़वा/ मेदिनीनगर/ देवघर/ दुमका/ राँची/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी०एम०य० सेल, कार्यालय-योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबजट-23/2017-346 दिनांक- 27/6/2022

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागर पदाधिकारी, गिरिडीह/ रामगढ़/ धनबाद/ बोकारो/ गढ़वा/ लातेहार/ देवघर/ गोड़डा/ खूंटी/ हजारीबाग/ कोडरमा/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत आवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (षष्ठम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			2386.01	0.00	2386.01
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह	150.00	3.579	0.000	3.579
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह	200.00	4.772	0.000	4.772
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	75.00	1.790	0.000	1.790
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	100.00	2.386	0.000	2.386
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	200.00	4.772	0.000	4.772
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	50.00	1.193	0.000	1.193
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	150.00	3.579	0.000	3.579
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	160.00	3.818	0.000	3.818
9	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	100.00	2.386	0.000	2.386
10	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	200.00	4.772	0.000	4.772
11	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	100.00	2.386	0.000	2.386
12	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	85.00	2.028	0.000	2.028
13	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	128.00	3.054	0.000	3.054
14	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	25.00	0.597	0.000	0.597
15	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	300.00	7.157	0.000	7.157
योग :-		2023	48.269	0.000	48.269

अनुलग्नक-१ (ख)

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (षष्ठम वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			2386.01	0.00	2386.01
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रम०, गिरिडीह	150	3.579	0.000	3.579
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रम०, गिरिडीह	150	3.579	0.000	3.579
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	270	6.442	0.000	6.442
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	185	4.414	0.000	4.414

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेए)	वित्तीय वर्ष 2022–23 (षष्ठि वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			2386.01	0.00	2386.01
i	ii	iii	iv	v	vi
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	250	5.965	0.000	5.965
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	50	1.193	0.000	1.193
7	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	100	2.386	0.000	2.386
8	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	100	2.386	0.000	2.386
9	देवघर वन प्रमण्डल देवघर	150	3.579	0.000	3.579
10	गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा	100	2.386	0.000	2.386
11	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	50	1.193	0.000	1.193
12	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	65	1.551	0.000	1.551
14	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	150	3.579	0.000	3.579
15	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	100	2.386	0.000	2.386
योग :-		1870	44.618	0.000	44.618

अनुलग्नक-1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (षष्ठि वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेए)	वित्तीय वर्ष 2022–23 (षष्ठि वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			2386.01	0.00	2386.01
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	200	4.772	0.000	4.772
2	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	150	3.579	0.000	3.579
3	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	100	2.386	0.000	2.386
4	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	200	4.772	0.000	4.772
5	गोड़ा वन प्रमण्डल, गोड़ा	100	2.386	0.000	2.386
6	साठवाठ प्रमण्डल, दुमका	100	2.386	0.000	2.386
योग :-		850	20.281	0.000	20.281
सकल योग :-		4743	113.168	0.000	113.168

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)/ वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) / शीघ्र बढ़ने वाले पौधों कारोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)							
1	पौधों की सुरक्षा हेक्टेक्टर	हेक्टेक्टर	7.30	2386.01		2386.01	
योग :-			7.30	2386.01	0.00	2386.01	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बज़ाट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2017/341

दिनांक -

25-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103	31700	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,193,000.00 रुपये ख्यारह लाख तिरनावे हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
2	S 19 24060110158010103	31701	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,193,000.00 रुपये ख्यारह लाख तिरनावे हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
3	S 19 24060110158010103	31702	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	823,200.00 रुपये आठ लाख तेहस हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			


योग:

रुपये बत्तीस लाख नौ हजार दो सौ

3,209,200.00

क्रमिक योग:

NAND KISHORE SINGH
ADDL. PCCE DEV JHARKHAND
RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103	31703	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	680,000.00 रुपये ६८ हजार अस्सी हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110158010103	31705	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO	1,312,300.00 रुपये तेरह लाख बारह हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110158010103	31707	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	715,800.00 रुपये सात लाख पंद्रह हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-मंरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योगः क्रमिक योगः				2,708,100.00
रुपये उनसठ लाख स ब्रह्म हजार तीन सौ				5,917,300.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDI PCCE DEV JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31708	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदुरी	596,500.00 रुपये पाँच लाख छयानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31709	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदुरी	620,400.00 रुपये छ: लाख बीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	31710	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदुरी	596,500.00 रुपये पाँच लाख छयानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

३०८

ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ।

कल्पिक योगा-

1,813,400.00

7,730,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
SRI RAMDEV BHAKTIVIJAYANTI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103	31711	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION रुपये नौ लाख चौपन हजार चार सौ	954,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110158010103	31712	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI रुपये तीन लाख सत्तावन हजार नौ सौ	357,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110158010103	31713	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG रुपये तीन लाख सत्तावन हजार नौ सौ	357,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये चौरानवे लाख नौ सौ			1,670,200.00
क्रमिक योग:				9,400,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103	31714	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM/	305,400.00 रुपये तीन लाख पाँच हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110158010103	31715	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR	417,600.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110158010103	31716	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,192,900.00 रुपये एक लाख बयानवे हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदूरी	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड तेरह लाख सोलह हजार आठ सौ			1,915,900.00
क्रमिक योग:				11,316,800.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	